


सं. डीपी/पर्स (एम)/2009/ /ए-12014/4/2004

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारत सरकार
ब्लॉक नं. 3, चौथा तल, सीजीओ काम्पलैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003.

दिनांक :

परिपत्र

के.अ.ब्यूरो में चपरासी के पद के लिए भर्ती नियमावली के प्रावधानों के अनुसार सभी समूह 'घ' कर्मचारी जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और कम-से-कम प्रारंभिक रूप से साक्षर हों और अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा किसी क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने की सामर्थ्य का प्रमाण प्रस्तुत करते हो अथवा सफलतापूर्वक पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया हो, स्थानांतरण आधार पर के.अ.ब्यूरो में चपरासी के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। पात्र प्रत्याशियों का विवरण जैसे जन्मतिथि, सेवा में आने की तारीख, जाति आदि, को इस मामले में आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनकी लिखित इच्छा के साथ मुख्यालय को 30.09.2009 तक भेज दिया जाए। शाखा द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाए कि कर्मचारी प्रारंभिक रूप से साक्षर है और अंग्रेजी अथवा हिंदी अथवा एक क्षेत्रीय भाषा को पढ़ने की सामर्थ्य रखता है।



(विश्वनाथन काकडा)

कार्यालय अधीक्षक, पर्स (एम)
के.अ.ब्यूरो, मु., नई दिल्ली.

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सीएफएसएल, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
2. उप-निदेशक(आईपीसीसी), के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली।
3. पुलिस उपमहानिरीक्षक(प्रशि.), के.अ.ब्यूरो अकादमी, गाजियाबाद।
4. सभी पुलिस अधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, नई दिल्ली। (दिल्ली एवं दिल्ली से बाहर स्थित)
5. मुख्यालय के सभी अनुभाग, प्रभाग और नीति प्रभाग।
6. नियंत्रण कक्ष प्रभारी, के.अ.ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली।
7. कार्यालय आदेश फाइल, पर्स(एम) अनुभाग, के.अ.ब्यूरो, मुख्यालय, नई दिल्ली।